न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/201/2019

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
रधुनाथ बवेजा पुत्र स्व0 हरिश चन्द बवेजा मौहल्ला चकलागुन्दी वैष्णों माता के मन्दिर के पास अलवर।	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 16–12–2019

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 06.08.2019 के माध्यम से पूर्व में जिला कलक्टर महोदय अलवर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.19 के संबंध में आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 16.12.2019 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 2656 दिनांक 12.12.19 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा0पत्र0 दिनांक 06.08.19 के संबंध प्रभारी अधिकारी न्याय प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट अलवर को लिखा गया था। अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) एवं प्रभारी अधिकारी न्याय प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट अलवर के द्वारा प्रार्थी को पत्रांक 9544–45 दिनांक 16.12.19 से अवगत कराया कि शासन सचिव सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प0 3(3) साप्र/6/2008 पार्ट जयपुर दिनांक 16.10.19 द्वारा राजस्थान राज्य में वर्ष 1975–77 के दौरान मीसा/डी0आई0आर0/सी0आर0पी0सी की धारा 107, 116 व 151 के अन्तर्गत निरूद्व रहे राज्य के मूल निवासीयान को पेंशन चिकित्सा सहायता एवं अन्य सहायता देने हेतु जारी राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम 2008 को तुरन्त प्रभावन से निरस्त किया जा चुका है। अपीलार्थी के अपील प्रा0पत्र दिनांक 14.11.19 के माध्यम से पूर्व आवेदन दिनांक 6.8.19, 19.9.19, 14.10.19 में वांछित किसी भी बिन्दु पर कोई सूचना दिया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः इस लोक प्राधिकरण के संबंधित अनुभाग द्वारा नियमानुसार अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
5. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज **दिनांक 16.12.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर,अलवर
अलवर (राज0)